निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 1/2020 तारीख दायरा 17.03.2020

उनवान

भूरी बाई पत्नि तेजकरण पुत्री गोपाल जाति गुर्जर निवासी बूढ़नी तहसील सांगोद जिला कोटा हाल निवासी बागोद तहसील खानपुर जिला झालावाड राजस्थान। — प्रार्थीया

बनाम

राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार साहब सांगोद। — अप्रार्थी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट

उपस्थित :—

श्री अनुतोष नागर (वकील प्रार्थीया) दिनांक :— 12.03.2022

श्री सरकार पैरोकार

——निर्णय——

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया द्वारा एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थीया के संयुक्त खाते एवं कब्जे काश्त की माल ग्राम बूढ़नी तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित खाता सं. 154 के ख.न. 827 की 0.10 है. एवं ख.न. 828 की 1.31 है. कुल 2 किता की कुल 1.41 है. आराजी स्थित है। उक्त आराजी में प्रार्थीया का नाम भूरी बाई के स्थान पर शकुन्तला दर्ज हो गया है जबकि प्रार्थीया का वास्तविक नाम भूरी बाई है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा भूरी बाई के स्थान पर शकुन्तला बाई पुत्री गोपाल सहवन से दर्ज कर दिया गया है। प्रार्थीया के आधार कार्ड, फोटो पहचान पत्र आदि में प्रार्थीया का नाम भूरी बाई पुत्री गोपाल दर्ज है जो कि प्रार्थीया का वास्तविक नाम है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:36:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीया के खाते की आराजी में गलत दर्ज नाम शकुन्तला पुत्री गोपाल को शुद्ध करके भूरी बाई पुत्री गोपाल अंकित कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के सादिर आदेश पारित किये जावे।

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गई। उक्त पत्रावली दिनांक 12.3.2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत में मुख्यालय उपखण्ड न्यायालय सांगोद में रखी गई, अप्रार्थी ने उपस्थित होकर वाद पत्र को स्वीकार किया। हलका पटवारी से भी इस सम्बन्ध में रिपोर्ट ली गई जिसने भी अपनी रिपोर्ट में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का समर्थन किया है व प्रार्थी की प्रार्थना को उचित बताया। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य, रिपोर्ट हलका पटवारी तथा जवाब अप्रार्थी, मतदाता पहचान पत्र, बैंक पास बुक, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड आदि से यह जाहिर होता है कि प्रार्थी ने उनके प्रार्थना पत्र में जो कथन किये हैं वे सत्य हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होने से अंतिम रूप से स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिये जाते हैं कि –

माल ग्राम बूढ़नी तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित खाता सं. 154 के ख.न. 827 की 0.10 है. एवं ख.न. 828 की 1.31 है. कुल 2 किता की कुल 1.41 है. आराजी में प्रार्थीया के गलत दर्ज नाम शकुन्तला बाई पुत्री गोपाल के स्थान पर भूरी बाई पुत्री गोपाल दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्तानुसार इन्द्राज दुरस्त कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा।

(अंजना सहस्त्र)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:36:02 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 12.03.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(अंजना सहस्त्र)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद